तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र पेश किया अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अनुमति दी जाती है प्रा. पत्र शामिल पत्रावली किया जाए पत्रावली वास्ते तलबी व बहस प्रा. पत्र हेतु दिनांक 22.11.17 को पेश हो।	
24.11.17	अन्य कार्य मुन्तज़िर 8.12.17 (हस्ताक्षर)	
8.12.17	अन्य कार्य इन्तज़ार 12.12.17 (हस्ताक्षर)	
12.12.17	पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष द्वारा बहस समाहित की गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश दिनांक 29.12.17 को पेश हो।	
29.12.17	पत्रावली पेश हुयी। उभय पक्ष द्वारा बहस समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थिया के पति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्रार्थिया के पति ने दो शादियां की थी। प्रथम शादी से अप्रार्थी 1 एवं 2 पैदा हुए जबकि दूसरी शादी से कोई औलाद नहीं हुयी। प्रार्थिया के पति ने अपने जीवनकाल में दिनांक 6/8/91 को खरीदशुदा भूमि में से 5 बीघा की वसीयत प्रार्थिया के पक्ष में करवा दी। मुस्लिम विधि नियम 185(2) के प्रावधानान्तर्गत प्रार्थिया के पति की मृत्यु के तहत चालीसवां कार्यक्रम में जब अप्रार्थी 1 एवं 2 ने उक्त वसीयत की स्वीकारोक्ति की, तभी विधिक रूप से प्रभाव में आ गयी। अप्रार्थीगण द्वारा इस वसीयत का कभी खण्डन नहीं किया गया न ही कभी इसे चुनौती दी। प्रार्थिया के पति की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण के पक्ष में म्युटेशन दर्ज हो गया। म्युटेशन से कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होते	

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इहकाम जो की तामील
	वसीयत के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में बनता है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म फरमावे।	
	जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थिया ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं पर कोई बहस नहीं की। अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत समस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है। प्रार्थिया वसीयत के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा है जबकि मुस्लिम विधि में वसीयत का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया वसीयत के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती। प्रार्थिया द्वारा दावा एवं अपील एक साथ दायर किए गए है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दावा ही पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।	
	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित निम्नांकित बिंदुओं पर विचारण करना होगा - 1. प्रथमदृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूरणीय क्षति	
	1. प्रथमदृष्टया मामला: प्रश्नगत आराजी पीरबक्श के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी अधिवक्ता प्रार्थिया पीरबक्श द्वारा उनके जीवनकाल में निष्पादित वसीयत के आधार पर घोषणा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध ~~दस्तावेज~~ वसीयत दिनांक 6/8/91 का अवलोकन किया गया। यह एक अपंजीकृत दस्तावेज की छायाप्रति है। वसीयत की वैधता का निर्धारण न्यायालय राजस्व का क्षेत्राधिकार नहीं है। सर्वप्रथम मौके पर काबिज व्यक्ति के हितों का संरक्षण	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आरोपित है। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थिया का कब्जा/काश्त साबित हो। केवल अपंजीकृत दस्तावेजी हाल वसीयत की छायाप्रति के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड रिकॉर्ड होने के कारण उनके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रथमदृष्ट्या मामला ~~साबित~~ अपने पक्ष में साबित करने का भार अधिवक्ता प्रार्थिया पर था जिसमें वह असफल रहे अत: यह बिंदु प्रार्थिया की अपेक्षा अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन</u> :- प्रार्थिया द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अधिकारों की घोषणा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है। प्रार्थिया द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नगत आराजी के इंतकाल की अपील भी की गयी है। प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थिया के विरुद्ध निर्णीत किया जा चुका है। वसीयत की वैधता का निर्धारण इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थिया द्वारा दावा एवं अपील साथ-साथ रहा का अनुतोष चाहा गया है। अधिवक्ता प्रार्थिया यह साबित करने में असफल रहे कि किस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थिया/वादिया के पक्ष में है। अतः यह बिंदु प्रार्थिया के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

3. <u>अपूरणीय क्षति</u> :- प्रार्थिया, अप्रार्थीगण 1 एवं 2 प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। अधिवक्ता प्रार्थिया प्रथमदृष्ट्या मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे। प्रथमदृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से अधिवक्ता प्रार्थिया यह साबित नहीं कर सके कि अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होने की सूरत में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न... अहक... की ...
	प्रार्थिया को किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। वर्तमान में अप्रार्थीगण रिकॉर्ड होल्डर हैं। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहने की सूरत में वे अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित होंगे। अतएव अपूरणीय क्षति का बिंदु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रार्थिया के विरुद्ध निर्णित होने से अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06/01/17 खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official